केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान,

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

जोधपुर (राजस्थान) 342 003

Phone No. 0291 – 2786584(Dir.)/2786485(CAO)/2787182(AAO) FAX: 0291 – 2788706

फाइल संख्या 11(8)2013-2014/प्रषासन चतुर्थ दिनांक : 18.12.2013

गून्दे फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में गून्दे की विभिन्न किस्मों के लगभग 278 पेड़ अलग-अलग आयु वर्ग (3-13 वर्ष) के लगे हुए हैं, जिनमें 100 ग्राफ्टेड पेड़ उन्नत किस्म के सम्मिलित है। इन पेडों में लगने वाले गून्दा फलों की नीलामी (फलों की ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2014) हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ पार्टी इत्यादि से मुहर बन्द निविदाएं दिनांक 02.01.2014 प्रातः 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व षर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । यदि चाहें तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान,
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)
जोधपुर (राजस्थान) 342 003
Phone No. 0291 – 2786584(Dir.)/2786485(CAO)/2787182(AAO) FAX: 0291 – 2788706

फाइल संख्या 11(8)2013-2014/प्रषासन चतुर्थ दिनांक : 18.12.2013

गून्दे फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देषित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 02.01.2014 समय प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक : 02.01.2014 समय प्रातः 11.30 बजे

निविदा संबंधी विवरण, नियम व षर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । इच्छुक निविदा कर्ता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।

प्रेषक :

सहायक प्रषासकीय अधिकारी, प्रषासन चतुर्थ
के0षु0क्षे0अ0सं0 (काजरी),
जोधपुर । (राज0) 342003

सेवा में

मैसर्स/श्रीमान् ——————————————————
————————————————————————
————————————————————————

विषयः– के0षु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) जोधपुर के विभिन्न बगीचों में गून्दे के फलों की ऋतु वर्ष 2014 के लिए नीलामी हेतु निविदा।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेषक की ओर से के0षु0क्षे0अ0सं0 (काजरी), जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में गून्दे के फलों की नीलामी (ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2014) हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ पार्टी इत्यादि से मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । जिसका विस्तृत विवरण, नियम व षर्ते सलंग्न अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में दिनांक 02.01.2014 समय प्रातः 11.00 बजें तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा डाक/कोरियर द्वारा पहुॅच जानी चाहिए । निष्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पष्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

निविदाऍ दिनांक 02.01.2014 समय 11.30 बजे इस संस्थान की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सामने संस्थान के सभा भवन में खोली जाएगी ।

भवदीय

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (भण्डार)
वास्ते निदेषक

नीलामी सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	गून्दा के पेड़ों की संख्या
1.	**इस संस्थान के बागवानी क्षेत्र में गून्दे की विभिन्न किस्मों केलगभग 278 पेड़ अलग -अलग आयु वर्ग (3-13 वर्ष) के लगे हुए हैं, जिनमें 100 ग्राफ्टेड पेड़ उन्नत किस्म के सम्मिलित है ।** **गून्दे के पेडों के पत्ते तोड़ने की अवधि : 2—15 जनवरी, 2014** **पेड़ों में खाद/कमपोस्ट देने की अवधि : माह फरवरी 2014 में** **नियमित सिंचाई और घास-पात हटाने का कार्य : माह फरवरी—अप्रैल 2014**	**लगभग 278 गून्दे के पेड.**

गून्दे के फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें -

1. धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपये 5000.00 ICAR Unit -CAZRI, Jodhpur नाम से राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft) अथवा नकद में इस संस्थान के रोकडिया को जमा करा कर इसकी रसीद निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर/ वेट (if applicable) स्वीकृत उच्चतम सफल निविदादाता से अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।
3. इच्छुक निविदादाता उपरोक्त गून्दे के पेड़ों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
4. निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के उपर **गून्दे के फलों की नीलामी के लिए निविदाश** अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन प्रातः 11.30 बजे खोली जाएगी ।
5. सफल अधिकतम दर निविदा दाता /पार्टी को नीलामी के पश्चात फल की ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2014 के दौरान फल तुड़ाई संबंधित कार्य प्रातः 9.00 से दोपहर 3.00 बजे तक इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा । फलो की तुड़वाई अवधि के दौरान ही पेड़ों के बगैर नुक्सान पहुँचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढायी जा सकती है ।
6. नीलामी में पारित स्वीकृत अधिकतम राषि का आधा भाग ठेके की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं आधी राषि फलों की षुरू हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा कराने होंगे ।
7. स्वीकृत अधिकतम सफल निविदादाता को इस संस्थान के प्रांगण में एक विक्रय स्थल रखने की वांछित सुविधा दी जाएगी ।
8. इस संस्थान को अनुसन्धान और पी0एच0टी0 उद्देष्यों के लिए निर्धारित 50 किलो ग्राम गून्दे के अच्छे फलों की बिना मूल्य के आपूर्ति करनी होगी ।
9. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रषासकीय अधिकारी से ले सकते हैं ।
10. सफल अधिकतम दर निविदादाता के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि को नीलामी के पष्चात पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
11. निदेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
12. निविदादाता को इन नियम व षर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है। नियम व षर्तो की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in.से डाउन लोड की जा सकती है ।
13. अन्य षर्ते नीलामी के दिन निविदा खोलने से पूर्व संस्थान की समिति द्वारा सूचित की जाएगी ।
14. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
15. नीलामी की स्वीकृत षर्तो में से किसी भी षर्त का स्वीकृत सफल अधिकतम दर ठेकेदार/पार्टी द्वारा फल की ग्रीष्म ऋतु में फल तुड.ाई कार्य के दौरान उल्लंघन किये जाने पर निदेषक को इस नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार/पार्टी द्वारा इस संस्थान में जमा करायी गयी समस्त जमा राषि जब्त समझी जायेगी ।
16. ठेकेदार अथवा उसके मजदूरों द्वारा गून्दे के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेषक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राषि जमा करानी होगी ।
17. सफल अधिकतम निविदादाता / ठेकेदार/फर्म को ठेके की राषि के अलावा सिक्युरिटी राषि (ठेके की राषि का 6 प्रतिषत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी कीष्शर्तो की अनुपालना व ठेका अवधि पूर्ण होने के पष्चात वापिस देय होगी ।
18. गून्दा फल तुड़ाई के लिए पेड़ हिलाये नहीं जाएंगे ।
19. नीलामी छोडने या न छोडने का अधिकार निदेषक, के0षु0क्षे0अ0सं0, जोधपुर को होगा ।
20. गून्दा फलों की तुड.ाई की अवधि नीलामी की दिनांक से फल की ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2014 तक अथवा आदेषानुसार मान्य होगी ।
21. **गून्दा फलों की तुड़ाई हेतु दी गई अवधि में <u>गूंदे के पतों की तुडाई तथा पेड़ों को खाद व पानी इत्यादि देने का कार्य</u> स्वीकृत सफल अधिकतम दर निविदादार्ता जिसके पक्ष में नीलामी स्वीकृत हो को फल की ग्रीष्म ऋतु के दौरान अपने खर्चे पर करना होगा ; यद्यपि सामग्री जैसे खाद और सिंचाई का पानी संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।**
22. नीलामी के सफल अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता जिसके पक्ष में नीलामी हो के अतिरिक्त अन्य निविदादाता/फर्म/पार्टी की धरोहर राषि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

गून्दा फलों की नीलामी की अन्य षर्तें एवं नियम

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट–छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. गून्दा फलों की नीलामी हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 5000/–अमानत राषि नकद या ड्राफ्ट द्वारा जो कि ICAR UNIT- CAZRI JODHPUR के नाम देय हो संलग्न करना होगा। अमानत राषि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार/फर्म अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं पेन संख्या अवष्य लिखें तथा पेन कार्ड (PAN allotted by Income tax department) की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. सषर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेषक, काजरी को होगा ।
6. गून्दा फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुक्सान न पहुँचाए। होने वाले नुक्सान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
8. गून्दा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेषक के0 षु0 क्षे0 अ0 सं0 (काजरी) का ह्रोगा ।
10. गून्दा फलों की नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार को गून्दा फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान गून्दा फलों की नीलामी के नियम व षर्तो की अनुपालना तथा गून्दा फलों की स्वीकृत राषि निर्देषित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
11. गून्दा फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेषों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों ,अनुदेषों व समय–समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेषों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
13. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पषु पक्षियों को नुक्सान पहुँचाना या इनका षिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आवष्यक कार्रवाई की जाएगी ।
14. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक